ISSN : 2760-X790

शोध भारती

त्रैमासिक पत्रिका

(An International Refereed Research Journal)

Vol.-2 Issue-1
November 2016-January 2017

सम्पादक
डॉ. हरीश कुमार
डॉ. आशुतोष त्रिपाठी

अनुक्रमणिका

पृ0सं0

1. श्रीअरविन्द : मोक्ष का ज्योतिर्मय स्वरूप 1–5
   डॉ0 मनीषा श्रीवास्तव
2. नैषधमहाकाव्ये आश्रम–व्यवस्थायाः निरुपणम् 6–7
   शिव कुमार पाण्डेय
3. श्रीहर्ष का वैदिक ज्ञान 8–11
   रविशंकर
4. स्थितप्रज्ञ की अवधारणा 12–21
   (आचार्य श्री विनोबा जी के विशेष संदर्भ में)
   सुभाष आसाराम खेत्रे
5. निराला के काव्य में छंद योजना 22–31
   धीरेन्द्र नाथ चौबे
6. मृच्छकटिकम् में प्रतिबिम्बित लोकधर्मी चेतना 32–35
   श्याम बाबू
7. लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के नाटकों में नारी व्यथा 36–46
   सत्यवीर
8. कबीर : कवि के रूप में 47–50
   भूपेन्द्र सिंह
9. बौद्धग्रन्थ ललित विस्तर में वर्णित कर्मवाद एवं पुनर्जन्म 51–55
   अमित कुमार

30. नारी कहानी में सामाजिक व नेतिक मूल्यों का विघटन : दुर्नाम एलांदु नौकरीपेशा और मुर्दों की दुनिया के संदर्भ में 183–192

31. स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत शिक्षण एवं समस्याएं 193–196

सुधा श्रीवास्तव

32. स्त्री कविता : मिथकीय संदर्भ 197–202

गिरिजेश कुमार

33. किशोर अपराधी (Juvenile Delinguents) 203–211

Meena Kumari

✷

किशोर अपराधी (Juvenile Delinguents)

Meena Kumari*

मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रुप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ रहने के लिये शिक्षा आवश्यक है। सामाजिक रुप से स्वस्थ रहने के लिये समाज के नियमों, परम्पराओं और मर्यादाओं आदि के अनुसार चलने या आचरण करने की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति जब समाज के नियमों, परम्पराओं, मर्यादाओं आदि का उल्लंघन करके समाज विरोधी कार्य करता है तो उसके इस व्यवहार को अपराध कहते हैं। यही अपराध जब कोई 18 साल से कम का बालक करता है तब हम उसे 'बाल अपराधी' कहते हैं। समाज में आज बाल अपराध 'एक समस्या है। हर किसी समाज के नियम और कानून होते हैं। कोई बालक जब अपने समाज के नियम और कानून तथा मूल्यों और मर्यादाओं के विपरीत कार्य करता है अपने समाज के नियमों को तोड़ता है तो इसे कदाचार, अपचार या बाल अपराध कहते हैं।

वैसे तो हर कोई बालक चंचल, हठवादी, और शरारती होता है लेकिन उसका ऐसा व्यवहार जब सीमा पार करने लगता है और काफी समय तक ऐसा ही व्यवहार करता रहता है तब ऐसे बालक को बाल अपराधी कहते हैं। 'यह शैतानी जब आदत के रुप में विकसित हो जाती है, जो कि समाज द्वारा प्रतिष्ठित व्यवहार प्रतिमान की सीमाओं को पार कर जाती है और उससे जो व्यवहार उभर कर सामने आता है, उसे ही बाल अपराध कहते हैं।' सेरील वट ने 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा है। लेकिन भारत में 1897 में निर्मित स्कूल रिफामेटरी एक्ट में 15 वर्ष तक के बालक के समाज विरोधी व्यवहार को बाल अपराध कहा गया है। तकनीकी दृष्टि से एक बालक को उस समय अपराधी माना जाता है जब उसकी विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाय कि उसके विरुद्ध शासन वैधानिक कार्यवाही करें या कार्यवाही करना आवश्यक हो जाय।''

किशोरावस्था को तनाव और तूफान काल माना जाता है। इस आयु वर्ग के बच्चे अक्सर ही नासमझ और अपरिपक्व होते हैं। उनकी सोच–समझ इतनी परिपक्व नहीं होती है कि वे अपने द्वारा किये जाने वाले हर कार्यो और उनके परिणामों का पूर्व आभास कर सकें। देश की 23 फीसदी आबादी ऐसे ही किशोरों की है। उचित दिशा–निर्देश के अभाव में वे कई बार ऐसे कार्य कर बैठते है जिसे करने का उनका आशय या दुराशय नहीं होता है। कई बार वे जाने–अनजाने में कोई अनैतिक या अवैध कार्य कर बैठते हैं तो कई बार बुरी

* Assist. Prof.(Special Edu.) Guru Ghasidas University, Bilaspur(C.G.) email- meenaggv@gmail.com, mob- no. 9453502713